

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जनवरी 2022—माघ 1, शक 1943

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2022

फा. क्र. 55-इक्कीस-ब (एक)-2022.—राज्य शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग में अतिरिक्त सचिव, विधि के एक रिक्त पद पर श्री ब्रजेन्द्र सिंह भदौरिया, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मध्यप्रदेश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविदा पर नियुक्ति नियम, 2017 में उल्लेखित सामान्य शर्तों के अधीन उनकी नियुक्ति दिनांक 15 जनवरी 2022 से, आगामी एक वर्ष के लिए अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पहले हो, संविदा आधार पर नियुक्ति प्रदान करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं (090)-सचिवालय योजना-(9057)-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद-11 वेतन भत्ते की उपमद-025-संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 56-इक्कीस-ब (एक) 2022.—राज्य शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग में अतिरिक्त सचिव, विधि के एक रिक्त पद पर श्री अभय कुमार, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मध्यप्रदेश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविदा पर नियुक्ति नियम 2017 में उल्लेखित सामान्य शर्तों के अधीन दिनांक 5 दिसम्बर 2021 को उनकी संविदा अवधि समाप्त होने पर पुनः एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं (090)-सचिवालय योजना-(9057)-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद-11 वेतन भत्ते की उपमद-025-संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2022

क्र. 66-2321-2019-तीन-जेल.—कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का 9) की धारा 3 के खण्ड (1) तथा मध्यप्रदेश प्रिजन्स रूल्स, 1968 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, खुली कॉलोनी, नरसिंहपुर को इस आदेश के जारी होने की तारीख से खुली जेल नरसिंहपुर के रूप में घोषित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ललित दाहिमा, अपर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2022

क्र. बी-53-844-2021-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 04 की उपधारा (1) तथा (2) [सहपठित नियम 2016] नियम 88 (10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिए कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिए पदांकित करता है:—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	सदस्य का नाम (3)	
1	बुरहानपुर	1. श्री संदीप शर्मा 2. श्रीमती बेला तारकस	सदस्य सदस्य

No. B-53-844-2021-L-2.— In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 04 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 [read along with Rule 88(10) of JJ Rule, 2016], the State Government hereby appoints the members of the Juvenile Justice Board as specified in column (3) for the following districts as specified in column (2) for the period of three years from the date of notification:—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of District (2)	Name of Members (3)	
1.	Burhanpur	1. Shri Sandeep Sharma.	Member
		2. Smt. Bela Tarkas.	Member

क्र. बी-56-3919-2021-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 की उपधारा (1) तथा (2) [सहपठित नियम 2016 का नियम 88 (10)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्ति को बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	सदस्य का नाम (3)	
1	शाजापुर	श्री आनंद खण्डेलवाल	सदस्य

No. B-56-3919-2021-L-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 27 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 [read along with Rule 88(10) of JJ Rule, 2016], the State Government hereby appoints the members of the Child Welfare Committee as specified in column (3) for the following districts as specified in column (2) for the period of three years from the date of notification:—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of District (2)	Name of Chairperson/ Members (3)	
1.	Shajapur	Shri Anand Khandelwaal	Member

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश सिंह, अपर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2022

सूचना

क्र. एफ-3-79-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा बुरहानपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में उपांतरों के साथ अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :-

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खण्डवा, मध्यप्रदेश.
4. आयुक्त, नगरपालिक निगम, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2022

क्र. एफ-03-79-2021-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-3-79-2021-अठारह-5,

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2022

क्र. एफ-3-01-2022-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 4916/टीसी/64/इन्दौर/उपां/नगानि/2021, भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इन्दौर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरें एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रंगवासा-तहसील राउ, जिला-इन्दौर.	645/3 एवं 647	3.565 में से 2.2022	आवासीय	औद्योगिक (गैर प्रदूषणकारी उद्योग के अन्तर्गत टॉय कलस्टर हेतु).

3.565 में से
योग . . 2.2022

दिनांक 12 जनवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 12th January 2022

NOTICE

No. F-3-79-2021-XVIII-5.—Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Burhanpur (Palnning Area) 2031 under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :-

1. Commissioner, Indore Division, Indore, Madhya Pradesh.
2. Collector, District Burhanpur, Madhya Pradesh.
3. Deputy Director, Town & Country Planning, District office Khandwa, Madhya Pradesh.
4. Commissioner Nagar Palika Nigam Burhanpur, Madhya Pradesh.

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

शर्तें:—

1. कलेक्टर, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक 747, दिनांक 7 अगस्त 2010 में उल्लेखित शर्तों का पालन आवश्यक होगा.
2. स्थल पर ऐसे उद्योग स्थापित होंगे जो सफेद श्रेणी के हैं एवं कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं करेंगे.
3. उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2022

क्र. एफ-15-13-2020-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र, जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्र. 917-डी, दिनांक 24 फरवरी 1879 द्वारा आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी:—

अनुसूची

जिला—बैतूल, तहसील—शाहपुर, वनमण्डल—उत्तर वनमण्डल-बैतूल, वनपरिक्षेत्र—भौरा

अ. क्र.	वन परिसर का नाम	वनखण्ड का नाम	वन कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हे. में.) जो आरक्षित वन नहीं रहेगा.	आरक्षित वन नहीं रहने का कारण	आरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मानसिंगपुरा	सालिमैंट	(नया) कक्ष क्र. आर.एफ.-154 (पुराना) कक्ष क्र. आर.एफ.-443	285.700	भारत शासन की स्वीकृति क्रमांक F. No. 8-34/2017 FC, दिनांक 10-अगस्त 2018 की शर्त क्रमांक-1 के अनुक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञाप क्रमांक F. No. 8-34/2017 FC, दिनांक 20 मई 2019 से वनभूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने के निर्देश के पालन में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से विस्थापित कर बसाये गये स्थल की वनभूमि का निर्वनीकरण.	उत्तर सीमा—आरक्षित वनखण्ड सालिमैंट के मुनारा क्रमांक 30 से मुनारा क्रमांक 40 तक. पूर्व सीमा—आरक्षित वनखण्ड सालिमैंट मुनारा क्रमांक 40 से प्राकृतिक नाला सीमा होते हुए नया मुनारा क्रमांक 1 तक एवं नया मुनारा क्रमांक 1 से 10 तक. आरक्षित वनखण्ड सालिमैंट के कक्ष क्रमांक 157 की पश्चिमी सीमा. दक्षिणी सीमा—नया मुनारा क्रमांक 11 से मुनारा क्रमांक 30/25 तक. आरक्षित वनखण्ड सालिमैंट के कक्ष क्रमांक 158 की उत्तरी सीमा. पश्चिम सीमा—नया मुनारा क्रमांक 30/25 से प्राकृतिक धार नाला होते हुए मुनारा क्रमांक 30 तक. आरक्षित वनखण्ड सालिमैंट के कक्ष क्रमांक 153 की पूर्वी सीमा.

F No. 15-13-2020-X-2.—In exercise of power conferred by Section 27 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below, which was declared as Reserve Forest by the Notification Number 917-D-, Date 24th February 1879-of Madhya Pradesh Forest Department, will cease to be Reserve Forest and with effect from the date of publication of the notification in the “Madhya Pradesh Gazette” and this land shall stand transferred to the Revenue Department:—

SCHEDULE

District—Betul, Tehsil—Shahapur, Forest Division—Betul North Division, Forest Range—Bhaura

S. No.	Forest Beat	Forest Block	Forest Compartment No.	Area Cease to be Protected Forest (Hectares)	Brief description of reasons for ceasing Protected Forest	Boundaries of Forest land Ceased to be Protected Forest
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mansingpura	Salimet	(New) RF-154 (Old) RF-443	285.700	The denotification of the Forest land diverted for rehabilitation of village from Satpura National Park <i>vide</i> Government of India Sanction letter number F. No. 8-34/2017-FC, dated 10th August 2018 and the direction given by Government of India Ministry of Environment, Forest and climate change New Delhi <i>vide</i> letter number F. No. 8-34-2017-FC, date 20th May 2019 to change the status of forest land into Revenue land.	North —Artificial line of Reserve Forest Block Salimet from Pillar No. 30 to Pillar No. 40. East —Natural Nallah boundary from Pillar No. 40 of Forest Block Salimet to new Pillar No. 01 and New Pillar No. 1 to new Pillar No. 10 Artificial west boundary of compartment No. 157 Salimet forest Block. South —From New Pillar No. 11 to Pillar No. 30/25 North boundary of compartment No. 158 Reserve forest Block Salimet. West —From New Pillar No. 30/25 to Pillar No. 30 Natural boundary of Dhar Nala and Easter Boundary of compartment No. 153 Reserve forest Block Salimet.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2022

क्र. विपप्र-2021-22.—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा दिनांक 7 अगस्त, 2013 को प्रश्न पत्र-तृतीय सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) विषय की संपन्न की गई थी, जिसमें निम्नलिखित परीक्षार्थी का नाम लिपिकीय त्रुटिवश श्री रितेश कुमार उईके के स्थान पर श्री रिवेश कुमार उईके अंकित हो गया था. आवेदक से प्राप्त आवेदन में संलग्न दस्तावेज की पुष्टि कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक, बालाघाट वनवृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश द्वारा किये जाने के उपरान्त निम्नलिखित परीक्षार्थी का नाम श्री रिवेश कुमार उईके के स्थान पर श्री रितेश कुमार उईके किया जाता है:—

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1	श्री रितेश कुमार उईके	वन क्षेत्रपाल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा भारतीय, लिंक प्रभारी अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2021

क्र. सामान्य-1-2021-1087.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999-एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 एवं सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो के अनुक्रम 4 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, दिनेश जैन, कलेक्टर, जिला शाजापुर वर्ष 2022 के लिये जिला-शाजापुर में निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:—

क्र. (1)	नाम त्यौहार (2)	दिनांक (3)	वार (4)	क्षेत्र (5)
1	रंगपंचमी	22 मार्च 2022	मंगलवार	सम्पूर्ण जिला
2	गणेश चतुर्थी	31 अगस्त 2022	बुधवार	सम्पूर्ण जिला
3	दीपावली का दूसरा दिन	25 अक्टूबर 2022	मंगलवार	सम्पूर्ण जिला

दिनेश जैन, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-भिण्ड, मध्यप्रदेश

भिण्ड, दिनांक 6 जनवरी 2022

क्रमांक क्यू-सामा.शा.-2-2022-207.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के नियम 8 में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 से जिले में तीन स्थानीय अवकाश घोषित करने का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदाय किये गये हैं। उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, डॉ. श्री सतीश कुमार एस. कलेक्टर जिला भिण्ड वर्ष 2022 के लिए सम्पूर्ण जिला भिण्ड में निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ।

क्र. (1)	त्यौहार (2)	दिवस (3)	दिनांक (4)	क्षेत्र (5)
1	मकरसंक्रांति/पोंगल	शुक्रवार	14 जनवरी 2022	सम्पूर्ण जिला
2	भुजरिया (रक्षाबंधन का दूसरा दिन)	शुक्रवार	12 अगस्त 2022	सम्पूर्ण जिला
3	भाईदूज (दीपावली).	बुधवार	26 अक्टूबर 2022	सम्पूर्ण जिला

सतीश कुमार एस., कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2021

क्र. एफ-2-1-2020-साठ.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि. के मेमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के उपबंध 71 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय श्री गिराज दण्डोटिया को आगामी आदेश तक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय दुबे, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 42-अ-82-20-21-भू-अर्जन-21-11904

सागर, दिनांक 3 दिसम्बर 2021

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी संभावित नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

- (1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीघ्र कार्य
(2) भूमि का विवरण

1. जिला : सागर
2. तहसील : बण्डा
3. ग्राम : कोटिया
4. पट.ह.नं.- : 10
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.990 हे०

:: अनुसूची - 01 ::

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भूपेन्द्र प्रीतम घनश्याम बीरसींग पिस. बालकिशन पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	67	0.110	0.020	0.000	0.000	छेवला-4
2	रामनाथ पिता हल्कू यादव पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	68	0.190	0.110	0.000	0.000	नीम-2 बबूल-3 छेवला-2
3	घनीराम रगवीर राधेश्याम ननेलाल जगदीश हरचरन पिता कन्छेदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	112	0.060	0.020	0.000	0.000	-
4	शीलाबाई जोजे रामनाथ यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	115/1	0.070	0.000	0.000	0.005	शुलबबूल-1 छेवला-2
			116/1	0.080	0.000	0.000	0.005	-

5	कुसुम पुत्री पल्लू पता कोटिया बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी नंती पुत्री पल्लू पता कोटिया बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी कमला पुत्री पल्लू पता कोटिया बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी जगरानी पत्नी पल्लू पता कोटिया बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी शांती पुत्री पल्लू पता कोटिया बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	116/2	0.060	0.000	0.000	0.005	-
6	शांतिबाई पुत्री पल्लू नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	172/2	0.150	0.000	0.150	0.000	-
			115/2	0.040	0.000	0.000	0.005	चिरोल-2 बबूल-1 शुलबबूल-2
7	शेरसिंह पिता देवीसिंह पता सा देह बंडा सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	186/1/1	0.320	0.320	0.000	0.000	बेरी-7 नींबू-1 पीपल-1
8	सुधीर कुमार जैन पिता निर्मल कुमार जैन पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	186/1/2	0.320	0.320	0.000	0.000	-
9	दीपक कुमार पिता प्रकाशचंद पता सा बहेरिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	186/2	0.640	0.630	0.000	0.010	नींबू-7 कुआपक्का-1
			186/3	0.320	0.320	0.000	0.000	-
10	धनीराम पिता कच्छेदी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	188	1.070	1.060	0.000	0.010	बेरी-3 अमरुद-1 छेवला-1 कुआपक्का-1
	कुल योग:-		13	3.430	2.800	0.150	0.040	

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।

- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
- (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या
- (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किय गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- 3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
 - (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
 - (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
 - (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
 - (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
 - (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
 - (7) यथेचित पंचायत घर

- (8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
 - (9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
 - (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
 - (11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
 - (12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
 - (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
 - (14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
 - (15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
 - (16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
 - (17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
 - (18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
 - (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
 - (20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
 - (21) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकबा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-63अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 में खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. में से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा तहसील बण्डा के ग्राम सलैया बिनैका पटवारी हल्का नंबर-35 में खसरा नंबर 270 रकबा 45.020 में से 34.00 हेक्ट. भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है। बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30x 50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में अथवा ग्राम सलैया बिनैका तहसील बण्डा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
 - (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
 - (23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।
- 4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 20/01/2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 05-अ-82-18-19-भू-अर्जन-21-117

सागर, दिनांक 5 जनवरी 2022

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

- (1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : बण्डा
 3. ग्राम : बमूरा बिनैका
 4. पट.ह.नं.- : 10
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 114.820 हे.

:: अनुसूची - 01 ::

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बद्री पिता अजुददी यादव पता सा. कोटिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2	1.170	1.170	0.000	0.000	—
			57	1.880	1.870	0.000	0.010	कुआ पक्का-2
			66	0.300	0.300	0.000	0.000	—
			67	0.220	0.220	0.000	0.000	—
			70	0.350	0.350	0.000	0.000	—
			127	0.390	0.390	0.000	0.000	—
			139	0.510	0.510	0.000	0.000	बेरी-8
2	कुमुद पति संजय पता सा. सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	3	1.430	1.430	0.000	0.000	—
3	मुरलीधर पिता जगमोहन पता नि. ग्राम (सागर) भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4	1.230	1.230	0.000	0.000	—
			23	0.460	0.460	0.000	0.000	—
			93	0.230	0.230	0.000	0.000	—
			122	0.070	0.060	0.000	0.010	—
			143	0.080	0.080	0.000	0.000	सूलबबुल-1
			183	1.080	0.260	0.000	0.000	—

4	धर्मवती पत्नी भरतसिंह पता सा. देह सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	64	0.070	0.070	0.000	0.000	-
5	बद्रीप्रसाद पिता अजुदी पता सादेह सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	125	0.100	0.100	0.000	0.000	-
6	नल्हूसींग शरनसींग पिस. हीरासींग पता सा. कुल्ल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6	0.280	0.280	0.000	0.000	-
			24	0.540	0.540	0.000	0.000	-
			25	1.240	1.240	0.000	0.000	-
			31/1	0.800	0.800	0.000	0.000	-
7	कुन्दन पिता मानसींग तुलसाबाई पुत्री मानसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9	0.180	0.180	0.000	0.000	-
			36/194	0.120	0.120	0.000	0.000	-
			91	1.230	1.230	0.000	0.000	-
8	बाबूसींग पिता खिलान पता सा. मदैया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	10	0.500	0.500	0.000	0.000	-
			11/1	0.410	0.410	0.000	0.000	-
			44/1	0.600	0.600	0.000	0.000	नीम-1 सेजा-1
			44/3	0.600	0.600	0.000	0.000	-
9	बडीबहु देवा रतनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	11/2	0.090	0.090	0.000	0.000	-
10	श्याम पिता फददी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	12	0.460	0.460	0.000	0.000	-
11	गफलू पिता मनमोहन पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	14	0.520	0.520	0.000	0.000	-
			20	0.200	0.200	0.000	0.000	-
			21	1.400	1.400	0.000	0.000	-
			29	0.440	0.440	0.000	0.000	-
12	गजराज पिता फदाली उर्फ तुलसी द्रोपती पुत्री फदाली कुसुमरानी बेबा फदाली जसरथ मुलाम पिता हल्काई लीला नन्ही पुत्री हल्काई खेमरबाई बेबा हल्काई पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15	1.000	1.000	0.000	0.000	-
13	तिजई- रमले पिता बुदन पहाडी जनक प्रभान पिता कनई केशर बाई कल्लोबाई पुत्रिया कनई बृजरानी बेबा कनई पता नि-ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	16	0.580	0.580	0.000	0.000	-
			118	0.110	0.110	0.000	0.000	इमली-1 बांस-110 सूलवबूल-1 बेरी-1 बेल-1 नींबू-1
14	तुलसीराम पिता भगवानसींग लोधी पता नि. कुल्ल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	17	0.190	0.190	0.000	0.000	-
15	गफलू पिता पंचू पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	19	0.250	0.250	0.000	0.000	-
			22	0.060	0.060	0.000	0.000	-
			26	0.270	0.270	0.000	0.000	-
			28	0.070	0.070	0.000	0.000	-
			119	0.130	0.130	0.000	0.000	-
16	तेज सींग पिता वीरसींग तुलसी सींग पिता भगवान सींग पता नि. कुल्ल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	18	1.210	1.210	0.000	0.000	-

17	जालम पिता मकुंदी पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी खचोरी पिता मकुंदी पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी कमल पिता मकुंदी पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी नत्थी पुत्री मकुंदी पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी सुमंत्रा पुत्री मकुंदी पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी फूला पुत्री मकुंदी पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी मुलाबाई बेवा मकुंदी पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/7 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	30	2.450	2.450	0.000	0.000	—
			88	0.080	0.000	0.080	0.000	—
18	प्रेमबाई जोजे रामन करन बलराम पिता रामकरन पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	31/2	0.230	0.230	0.000	0.000	—
33			1.730	1.720	0.000	0.010	कुआ पक्का-1	
19	रमले पिता बुदन पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	32	1.200	1.200	0.000	0.000	—
20	हरीराम पिता मुलू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	34	2.280	2.270	0.000	0.010	कुआ पक्का-1
21	पहाडी जनक प्रमान पिता कनई केशरबाई कल्लोबाई पुत्रिया कनई बूजरानी बेबा कनई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	37	1.030	1.020	0.000	0.010	कुआ पक्का-1
22	हरीराम, मिहीलाल पिता मुलू मोगा बाई, मल्ली बाई, कस्तूरी बाई द्रोपतीबाई पुत्री मूलू, मुकुन्दी पिता सेतू पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि लछुवा, रामकरन, बब्बू, शिवदयाल, गंगू, बूढा पिता फदी सुकरतबाई पति गुलझार सिंह लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38	0.660	0.660	0.000	0.000	—
			60/1	0.260	0.000	0.260	0.000	—
			61/1	0.330	0.000	0.320	0.010	कुआ पक्का-1
			120	0.310	0.310	0.000	0.000	बबूल-1 सूलबबूल-1 यूकेलिपटिस-2 बेरी-2 सीताफल-2 नींबू-1 अमरुद-2 मुनगा-4
23	सुकरतबाई पत्नी गुलझार सिंह पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	60/2	0.130	0.000	0.130	0.000	—
			61/2	0.160	0.000	0.160	0.000	—
24	दमरू हल्ले पिस लच्छू चौदीबाई पुत्री लच्छू मसीदा बेवा लच्छू उपदेश आनंद आनिल पिता किशोरी रेखा पुत्री किशोरी मुलाबाई किशोरी पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	39	2.190	2.170	0.000	0.020	बांस-50 यूकेलिपटिस-6 बेरी-1 आम-1 जामुन-1 अमरुद-8 कटहल-1 मुनगा-1 ट्युबवेल-1 कुआ पक्का-1
			47	0.780	0.780	0.000	0.000	—

25	मोहन पिता महादेव पता सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	40	1.340	1.330	0.000	0.010	कुआ पक्का-1
26	शकर पिता कुदू आदिबासी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	41/1	0.850	0.840	0.000	0.010	सूलबबूल-2 बबूल-1 कोहा-1 सेजा-1 यूकेलिपटिस-1 4 बांसभिरा-1 बेरी-1 अमरुद-16 बेरी-1 अनार-1 कुआ पक्का-1
27	बाबूसींग पिता खिलानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	41/2	0.400	0.400	0.000	0.000	यूकेलिपटिस-2 नींबू-1 अमरुद-1 आवला-1 बेरी-2
28	प्रीतम पिता सेवे-रानीपति प्रीतम पता नि-ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	42/1	0.320	0.310	0.000	0.010	कुआ पक्का-1
29	बाबूसींग पिता खिलान पता सा. देह बण्डा सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	42/2	0.330	0.330	0.000	0.000	-
30	पप्पू पिता दौलत पता नि-ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	42/3	0.330	0.330	0.000	0.000	-
31	सेवा पिता फुदू पता नि- ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	43	0.420	0.420	0.000	0.000	-
			83	0.120	0.120	0.000	0.000	सेमर-1
32	मुह- नौशाद पिता मुह- ईस्माइल पता नि- सदर बाजार, सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	44/2	0.800	0.800	0.000	0.000	-
33	इसहारमु. इजहारमु. अंसार अहमद ना. वा वल्द मो. इसराईल वली माँ रशीदा बैगम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	44/4	0.250	0.250	0.000	0.000	-
			46	0.580	0.580	0.000	0.000	-
34	लछू पिता फट्टे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45	0.650	0.650	0.000	0.000	-
			160	2.370	0.210	0.000	0.010	मुनगा-2 सूलबबूल-5 पाडेर-1 आम-7 नींबू-2 अमरुद-33 सीताफल-3 बेल-1 आवला-2 कुआ पक्का-1
35	तिजई पिता बुदन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	48	0.810	0.660	0.000	0.000	-

36	मिट्ट पिता अचछेलाल सौर पता नि- ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	50/1/1	0.310	0.290	0.000	0.000	छेवला-1
37	शिवलाल पिता फदी-गुडडी पति शिवलाल सौर पता नि-ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	50/1/2	0.300	0.300	0.000	0.000	-
38	हल्लू पिता फदीटीकाबाई पति हल्लू सौर पता नि-ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	50/1/3	0.320	0.320	0.000	0.000	-
39	गंगाराम पिता फदी सौर पता नि- ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	50/1/4	0.320	0.320	0.000	0.000	-
40	बाबूलाल पिता फदी सौर पता नि- ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	50/1/5	0.320	0.310	0.000	0.000	-
41	मंगल पिता तिजई- गंगाबाईपति मंगल सौर पता नि- ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	50/1/8	0.300	0.030	0.000	0.000	बबूल-1 अमरुद-5 नींबू-1 बेरी-2 कुआ पक्का-1
42	जनक पिता कनई- छोटीबाई पतिजनक सौर पता नि- ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	50/1/9	0.320	0.050	0.000	0.000	-
43	पुरुषोत्तम पिता शंकरेशरबाई पति पुरुषोत्तम सौर पता नि-ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	50/1/1 1	0.320	0.280	0.000	0.000	-
44	मल्ले पिता लछू- छोटीबहूपति मल्ले चमार पता नि-ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	50/1/1 2	0.290	0.280	0.000	0.000	-
45	किशोरी पिता लछू- मुलाबाईपति किशोरी चमार पता नि-ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	50/1/1 3	0.290	0.290	0.000	0.000	-
46	हल्लू पिता लछू- लक्ष्मीपति हल्लू चमार पता नि- ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	50/1/1 4	0.320	0.270	0.000	0.000	-
47	बलु पिता सुकल . फदारी पति बलु चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	52/1	0.930	0.930	0.000	0.000	बांस-150 बेरी-3
48	गुलझार सींग बीरसींग पिस. हल्लू सींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	54	0.420	0.410	0.000	0.010	कुआ पक्का-1 दयुबवेल-1
			71/3	0.270	0.270	0.000	0.000	-
			89/4	0.650	0.650	0.000	0.000	-
			131/4	0.100	0.100	0.000	0.000	-
			156/4	0.620	0.610	0.000	0.010	-
49	प्रभा बेबा विनोद कुमार नितिन सौरभ पिता विनोद कुमार पाठक पता नि. ग्राम सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	55	2.290	2.290	0.000	0.000	दयुबवेल-1
50	चतुरभुज पिता गनेश पता नि. ग्राम ढाना भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	56	0.670	0.660	0.000	0.010	कुआ पक्का-1
			65	0.200	0.200	0.000	0.000	-

51	राजाराम वीरसींग त्रिलोक सींग अजयसींग पिता गिरबरसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	58	0.050	0.050	0.000	0.000	-
			78/1	0.900	0.900	0.000	0.000	-
			82	0.190	0.190	0.000	0.000	टयुबवेल-1
			95	0.930	0.920	0.000	0.010	कोहा-9 रुसल्ला-1 रेंजा-1 सूलबबूल-2 चिरोल-1 कुआ पक्का-1
			104	2.070	2.060	0.000	0.010	सूलबबूल-4 नीम - 1 गुरार-1 गुजा-1 छेवला-2 सेमर-1 बेरी-2 नींबू-2 अमरुद-16 कुआ पक्का-1
			113	0.120	0.110	0.000	0.010	सूलबबूल-1 बबूल-1 नीम-1 बांस-102 पीपल-1 मुनगा-1
			147	0.120	0.110	0.000	0.010	मुनगा-1 सूलबबूल-12 यूकेलिपटिस-1 आम-1 बेरी-1
52	राजाराम वीरसींग त्रिलोक सींग अभयसींग पिस. गिरबरसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	62	0.200	0.200	0.000	0.000	-
			124	0.150	0.150	0.000	0.000	-
53	मीना पति विजय सींग जगबाई मुनीम सींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	63	0.360	0.360	0.000	0.000	-
54	रविंद्र पिता खुमानसींग पता सा.देह सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69	0.180	0.180	0.000	0.000	-
55	गुलझारसींग वीरसींग पिता हल्कूसींग जाति लोधी पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	71/1	0.270	0.270	0.000	0.000	-
			102/1	0.050	0.040	0.000	0.010	कुआ पक्का-1
			131/1	0.390	0.390	0.000	0.000	बेरी-1
			156/1	0.620	0.610	0.000	0.010	गुरार-2 समी-1 बांस-410 सागोर-1 सूलबबूल-3 यूकेलिपटिस-20 आवला-1 अमरुद-11 आम-1 अनार-1 नींबू-1 कुआ पक्का-2
			166/3	1.990	0.140	0.000	0.000	-
185/1	1.140	1.130	0.000	0.010	छेवला-2 कोहा-1 कुआ पक्का-1			

56	उत्तमसींग केशरीसींग पिता रगवीरसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	71/2	0.260	0.260	0.000	0.000	-
57	विजय उत्तम केशरी पिस. रगवीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	71/4	0.270	0.270	0.000	0.000	-
			131/2	0.100	0.100	0.000	0.000	मुनगा-1 बांस-70 बेरी-1
			89/2	0.400	0.400	0.000	0.000	-
			102/4	0.050	0.000	0.050	0.000	-
			156/2	0.620	0.610	0.000	0.010	यूकेलिपटिस-8 सूलबबुल-4 सेमर-1 अमरुद-1 रायकरोंदा-1 बेरी-1
			166/2	1.990	0.190	0.000	0.000	बेरी-2
			185/5	0.560	0.550	0.000	0.010	महुआ-1 छेवला-1 कुआ पक्का-1
58	धनुवा पिता भगोला पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/2 भूमि स्वामी जालम पिता मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य 1/14 भूमि स्वामी खचोरी पिता मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/14 भूमि स्वामी कमल पिता मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/14 भूमि स्वामी नत्थी पुत्री मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/14 भूमि स्वामी सुमंत्रा पुत्री मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/14 भूमि स्वामी फूला पुत्री मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/14 भूमि स्वामी मुलाबाई बेवा मकुंदी पता सादेह 1/14 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	72	0.710	0.710	0.000	0.000	-
			84	0.130	0.130	0.000	0.000	बेरी-1
			145	0.070	0.060	0.000	0.010	-
59	बल्दू पिता परमोले सा. देह रामचरण पिता पूरन सेन पता सा. पिथोली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77/3	0.400	0.400	0.000	0.000	-
60	गुपाल पिता बटू पता नि-ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	74/1	0.650	0.650	0.000	0.000	-
61	अभय सिंह पिता गिरवर लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	74/2	0.200	0.200	0.000	0.000	-
			74/3	0.100	0.100	0.000	0.000	-
62	मोहन पिता महादेव पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	75	0.750	0.750	0.000	0.000	-
			80	1.110	1.110	0.000	0.000	-
			87	0.800	0.800	0.000	0.000	-
63	रामेश्वर पिता देवी जाति रैकवार पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	76/1	0.520	0.510	0.000	0.010	-
			148	0.090	0.080	0.000	0.010	-
64	सखीबाई पति लोटन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	76/2	0.200	0.200	0.000	0.000	-
			76/3	0.040	0.040	0.000	0.000	-

65	मुलाबाई ग्याबाई पुत्री पुनूबलदेव उर्फ वल्दू पिता पंथोले सेन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	115/1	0.060	0.000	0.060	0.000	इमली-1 रेंजा-1 बेरी-2
66	त्रिलोकसिंह राजारामसिंह वीरसिंह राजाराम सिंह वीरसिंह पिता गिरवरसिंह पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	115/2	0.040	0.000	0.040	0.000	-
67	प्रकाश पिता पूरनलाल जाति सेन पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77/1	0.380	0.380	0.000	0.000	-
68	प्रकाश ब. पूरन सेन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77/2	0.400	0.400	0.000	0.000	-
69	सुकरती पति गुलझार उर्मिला पति चन्द्र भान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	185/4	0.560	0.560	0.000	0.000	तुन-6 बमुरा-2
70	राजाराम बीरन त्रिलोक अभय पिस. गिरबर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	78/2	0.800	0.800	0.000	0.000	-
71	हेमंत निशात पिस. बहादुर अंकुश ना.वा.पि. बहादुर वली माँ अंगूरीबाई वेवा बहादुर पता सा. सदर सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	79	1.550	1.550	0.000	0.000	-
			81/2	0.100	0.100	0.000	0.000	-
72	भूरे सींग पिता भगवतसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	81/1	1.150	1.150	0.000	0.000	-
			106	0.270	0.270	0.000	0.000	सेजा-1 गुरार-1 चिरोल-1
			144/1	0.120	0.000	0.120	0.000	बेरी-1 अमरुद-1
73	प्रहलाद पिता दरयाव पता बेई शाहगढ सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	144/2	0.110	0.000	0.100	0.010	-
74	जालम पिता मकुन्दा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	86	0.090	0.080	0.000	0.010	चिरोल-1 सूलबबुल-4 बेरी-6 अमरुद-1 बेल-1 नींबू-1 कुआ पक्का-1
75	सुम्रेर साहबसींग पिस. लालसींग गुडडी खुमान जानकी पार्वती पु. लालसींग संतोष शैलेश पि. मजबूतसींग संझलीबहू वे. रामसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	89/1/1 /1	1.050	0.000	1.050	0.000	चिरोल-2 रेंजा-4 साज-5 सेजा-16 किरवारा-2 दुधई-1 खैर-10 जमरासी-2 केम-1 बेरी-4 बेल-3
			128	0.190	0.190	0.000	0.000	बांस-65 सूलबबुल-1 बेरी-1

76	सुम्मेरसिंह पिता लालसिंह पता सा. देह सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी		89/1/1/2	0.490	0.000	0.490	0.000	-
77	प्रतापसिंह पिता सुम्मेर सिंह पता सादेह सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	159	0.750	0.740	0.000	0.010	काकर-1 केम-1 बमुरा-1 बांस-95 बेरी-1 अमरुद-5 नींबू-1 कुआ पक्का-1
			89/1/2	0.300	0.000	0.300	0.000	-
78	सुम्मेरसिंग पिता बिहारी वीरसिंग पिता हल्कूसिंग संतोष पिता आंकारसिंग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	89/3	0.800	0.800	0.000	0.000	-
79	महाराजसिंह पिता फूलसिंह पता बमुरा बिनैका सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	89/5	0.800	0.800	0.000	0.000	-
80	सुम्मेरसिंग पिता लालसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	89/6	0.400	0.400	0.000	0.000	-
			89/8	0.050	0.050	0.000	0.000	-
81	गुलझारसिंग पिता हल्कूसिंग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	89/7	0.400	0.400	0.000	0.000	-
82	अमोल पिता गुलझार वीरसिंग पिता हल्कूसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	89/9	0.200	0.200	0.000	0.000	-
83	चन्द्रभान पिता बाबूसिंग पता सा. कोटिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	90	0.500	0.500	0.000	0.000	-
84	सुकरतीबाई पति गुलझारसिंग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	92	0.300	0.300	0.000	0.000	-
			158/1/ख	0.400	0.400	0.000	0.000	-
			158/2	0.800	0.800	0.000	0.000	-
			185/7	0.200	0.200	0.000	0.000	-
85	मोहन पिता रतनसिंग रामवती पति मोहन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	94/2	0.800	0.800	0.000	0.000	बांस-70 अमरुद-1
86	भागीरथ पिता सूरतमीराबाई पति भागीरथ सौर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	97/1	0.600	0.600	0.000	0.000	छेवला-3 कोहा-2 सेजा-1 सूलबबुल-2 अमरुद-7 नींबू-1, बेरी-1
87	रमले पिता बुदन,शीलरानीपति रमले पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	97/2	0.550	0.550	0.000	0.000	नींबू-1 बेरी-1

88	प्रमान पिता कनई, रामवती पति प्रमान सौर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	97/3	0.800	0.750	0.000	0.010	जमरासी-1 अमरुद-2 बेरी-1 जामुन-3 कुआ पक्का-1
89	पहारी पिता कनई, मुन्नीबाई पति कनई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	97/4	0.600	0.520	0.000	0.010	छेवला-1 जामुन-1 आम-1 कुआ पक्का-1
90	विजयसींग, उत्तमसींग, केशरीसींग पिता रगवीरसींग द्रोपतीबाई पुत्री रगवीरसींग पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	98/1	0.180	0.000	0.180	0.000	-
			155/1/1	1.070	1.060	0.000	0.010	कुआ पक्का-1
91	विजयसिंह उत्तम सिंह पिता रगवीरसींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	98/2	0.170	0.000	0.170	0.000	-
			155/1/2	0.570	0.000	0.570	0.000	-
92	गदू पिता नंदू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	99/1	0.020	0.000	0.020	0.000	-
93	भागीरथ वा. जगदीश भरत ना. वा. पिस. सूरतसींग माखन बाई प्रेमबाई वा. नबंदा ना. वा पिता सूरतसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	99/2	0.800	0.790	0.000	0.010	यूकेलिपटिस-1 सूलबबुल-1 बेरी-1 कुआ पक्का-1
94	गोकलरघुवीरवृजेश आदर्शपिसलोटन सखीबाई आदर्शपिसलोटन सखीबाई बेवा लोटन पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	99/3	0.540	0.540	0.000	0.000	सूलबबुल-2 नीम-1
			100/5	0.540	0.540	0.000	0.000	गुरार-6 सूलबबुल-2 छेवला-1 नीम-2 कसई-1 कोहा-2 बेरी-1
95	सुकरतबाई पति गुलझारसींग उर्मिला पति चन्द्रभान सिंह लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	99/4	0.800	0.800	0.000	0.000	बेरी-1
96	गजराजसिंह पिता जगतसिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	100/1	0.690	0.690	0.000	0.000	गुरार-5 सेमर-1 सागोन-1 तुन-1 यूकेलिपटिस-6 खैर-1 नींबू-5 जामुन-8 आम-6 अमरुद-10 बेल-1 कैथा-1

97	भरतसींग पिता जगतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	100/2	0.690	0.690	0.000	0.000	सूलबबूल-4 गुलमहोर-1 केम-1 गुरार-7 बांस-251 सागोन-10 कोहा-2 सेमर-1 छेवला-2 बबुल-1 युकेलिपटिस-1 माडनइमली-1 बेल-1 अमरुद-3 आवला-1 जामुन-1
98	विजयसींग पिका जगतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	100/3	0.690	0.670	0.000	0.020	सूलबबूल-1 अमरुद-4 आम-2 कूआ पक्का-1
99	मुनीमसींग पिता जगतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	100/4	0.660	0.660	0.000	0.000	सूलबबूल-4 गुरार-2 साज-1 छेवला-1 गुंजा-1 बांस-70 केम-1 अमरुद-1 आवला-1 दयुबवेल-1
			182/2	0.810	0.810	0.000	0.000	-
100	राकेश पिता वीरसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	185/8	0.200	0.200	0.000	0.000	-
101	लाखनसींग पिता होडरसींग पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	102/2	0.050	0.050	0.000	0.000	-
			156/3	0.620	0.620	0.000	0.000	सुलबबूल-17 शशीराम-1 बबुल-1 नींबू-4 अमरुद-3
102	देवेन्द्र पिता हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी चंदा पुत्री हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी हल्ली पुत्री हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी विनिता पुत्री हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी शानबाई बेवा हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी		142/2	0.060	0.050	0.000	0.010	मुनगा-2 बांस-115 नीम-1 जामुन-1 आम-1
			158/5	1.080	0.750	0.000	0.000	युकेलिपटिस-1
103	कोमलसींग वल्द भुजबलसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	102/3	0.040	0.000	0.030	0.010	सेजा-1 नीम-1

104	उत्तमसींग,केशरीसींग पिता रगवीर सींग, बडीबहू बेबा रगवीरसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	105	0.660	0.660	0.000	0.000	माडनइमली-2 पापडा-1 किरवारा-1 सुलबबुल-2 उमर-1 कोहा-1 सागोन-3 सेमर-1 जामुन-1
105	राजासींग शिबू हरीसींग पुष्पेन्द्र बंसत पिस. विजयसींग रामकली जौजे विजयसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	105/19 6	1.210	1.210	0.000	0.000	बेरी-1
106	मोहनसींग पिता रतनसींग बड़ी बहू बेबा रतनसींग गोमती बाई, खिलावन, भूरीबाई गुलाब बाई पुत्री रतनसींग पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	114	0.190	0.190	0.000	0.000	बबुल-1 सुलबबुल-7 सेमर-1 अमरुद-1 नीबू-1
			176	0.220	0.220	0.000	0.000	-
107	श्री देव हनुमानजी मुह. जगमोहन लाल प्रबंधक कले. महो. सागर पता सा. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	116	0.190	0.190	0.000	0.000	-
			169	0.960	0.960	0.000	0.000	सेमर-1 बेरी-1
108	सेवा वरुद कुदू पार्वती पुत्री कुदू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	121	0.090	0.090	0.000	0.000	-
109	खुमान पिता अजुदी यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	123	0.060	0.000	0.060	0.000	-
110	हरेन्द्रसिंह, नंनेआई पिता अरजन सिंह, मधराबाई बेबा अरजनसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	126	0.140	0.140	0.000	0.000	-
111	शांतिबाई पति जवाहरसिंह पता नि.ग्राम कोटिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	130	0.140	0.140	0.000	0.000	-
112	मुन्नीबाई जोजे काशीराम पता नि.सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	132	0.110	0.110	0.000	0.000	सूलबबुल-5 बेरी-2 अमरुद-1
113	गणेश पिता नंदलाल महेन्द्र संतोष शैलेन्द्र पिस. मजबूत संझलीबहू वे. रामसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	133	0.430	0.420	0.000	0.010	युकेलिपटिस-6 बबुल-1 सूलबबुल-4 बांस-185 बेरी-6 मुनगा-2

114	मुनीमसींग पिता जगतसींग पता सा. देह सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी विजयसींग पिता जगतसींग पता सा. देह सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी भरतसींग पिता जगतसींग पता सा. देह सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी गजराजसींग पिता जगतसींग पता सा. देह सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी गोकल पिता लोटन सिंह पता सा. देह सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी आदर्शनाबा पिता लोटनसिंह वली मॉसखीबाई बेबा लोटन सिंह पता सा. देह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी सखीबाई बेवा लोटन सिंह पता सा. देह सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी रघुवीर पिता लोटन सिंह वली मॉसखीबाई बेवा लोटन सिंह पता सा. देह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी ब्रजेश नाबा पिता लोटन सिंह बली मॉ सखी बाई बेवा लोटन सिंह पता सा. देह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	135	0.070	0.070	0.000	0.000	युकैलिपटिस-6 सूलबबुल-5 सागोन-1 बांस-115 अमरुद-1
			136	0.030	0.000	0.030	0.000	मुनगा-1 सूलबबुल-2 आम-1 नीबू-1
115	रतन सींग पिता जसरथ पता सादेह बंडा सागर 1/5 भूमि स्वामी मोहन पिता जसरथ पता सादेह बंडा सागर 1/5 भूमि स्वामी रत्तीबाई पुत्री जसरथ पता सादेह बंडा सागर 1/5 भूमि स्वामी बीरसींग पिता जसरथ पता सा.देह बंडा सागर 1/5 भाग भूमि स्वामी देवेन्द्र पिता हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी चंदा पुत्री हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी हल्ली पुत्री हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी विनीता पुत्री हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी शानबाई बेवा हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	140	0.120	0.110	0.000	0.010	मुनगा-2 रुसल्ला-1 बांस-110 युकैलिपटिस-1 बेरी-1 अमरुद-1
116	रसीदा वेगमपति मॉ.ईसराईल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	141	0.480	0.470	0.000	0.010	बबूल-1 उमर-1 बेरी-11
117	जग्गोबाई जोजे भरोसे पता नि.ग्राम-सानौधा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	142/1	0.120	0.120	0.000	0.000	-
118	गुपाल, लछुवा, गजू मकुन्दापिता बडू पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	146	0.140	0.140	0.000	0.000	-

119	लाखनसींग पिता होडरसींग विजयसींग, उत्तमसींग, केशरीसींग पिता रगवीरसींग द्रोपतीबाई पुत्री रगवीरसींग भूमि स्वामी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	154	0.420	0.410	0.000	0.010	बेरी-1 ट्युबवेल-1
120	महेन्द्रसिंह, रमेश पिता लाखनसिंह पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	155/2	0.600	0.600	0.000	0.000	बबुल-1 सूलबबुल-1 अमरुद-7
121	संतोष श्रीराम जाहर पिता हरेन्द्र लक्ष्मीबाई पुत्री हरेन्द्र हरबाई बेबा हरेन्द्र पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	157/1	0.800	0.780	0.000	0.020	गुरार-1 गुजा-1 अमरुद-5 बेरी-2 कुआ पक्का-1
122	नन्नेभाई पिता अरजन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	157/2	0.400	0.390	0.000	0.010	गुरार-1 सूलबबुल-1 बांस-71 अमरुद-6 बेरी-2
123	गुलझारसिंह पिता हल्कसींग लोधी शेरसींग पिता वीरसींग लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	158/1	0.270	0.270	0.000	0.000	-
124	ज्ञानबाई जो. हीरासींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	158/1/ ग	0.400	0.400	0.000	0.000	यूकेलिपटिस-5 बेरी-1
125	अरविन्द वल्द महीपसींग पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	158/3	0.800	0.680	0.000	0.010	सूलबबुल-1 किरवारा-1 खैर-1 अमरुद-1 नींबू-5 बेरी-1 कुआ पक्का-1
126	वीरसींग पिता जसस्थसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	158/6	0.880	0.880	0.000	0.000	रैजा-1 गुरार-1 मुनगा-1 यूकेलिपटिस-8 बेरी-1 जिमरिया-1
127	केशरीसिंह पिता रघुवीरसिंह जाति लोधी पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	158/7	0.070	0.070	0.000	0.000	-
128	सुकरतबाई जोजे गुलझार सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	158/8	0.200	0.200	0.000	0.000	यूकेलिपटिस-1 बांस-65 कांकेर-1 खैर-1 चिरोल-1 ट्युबवेल-1 बेरी-1
129	राजेन्द्र सिंह पिता रंधीरसिंह पता नि. कुल्ल भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	164	1.200	0.420	0.000	0.000	बेरी-1

130	विजय उत्तम केशरी पिस. रगबीर सीगं मीरा द्रोपती पु. रगबीर गुलझार बीरसीग पि. हल्कूसीग कोमल पिता भुजबलसीग पता सा. बांदरी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	165	1.200	0.020	0.000	0.000	—
131	संतोष ना. वा. वल्द वली नंदराम पिता बारेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	166/5	0.340	0.320	0.000	0.000	—
132	राजाराम बीरसीग त्रिलोकसीग पि. गिरबर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	167	0.600	0.060	0.000	0.000	—
133	बदी शिवकुमार खुमान पिस. अजुददी पता सा. कोटिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	168	2.360	2.350	0.000	0.010	उमर-1 कुआ पक्का-1
134	फूलसीग बाबूलाल लखनलाल पिस. मकुन्दी पता सा. बिहनेनी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	170	1.880	1.870	0.000	0.010	तुन-1 बेरी-2 कुआ पक्का-1
135	बदी पिता अजुददी यादव पता सा कोटिया भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	171	1.000	1.000	0.000	0.000	तुन-3
136	मुन्नीबाई जोजे काशीराम पता निवासी सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	172	0.080	0.080	0.000	0.000	—
137	भागीरथ नीरज पिस. धनीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	178	0.430	0.430	0.000	0.000	—
138	प्रभा बेवा विनोद कुमार नितिन सौरभ पिता विनोद कुमार पाडक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	179	0.420	0.420	0.000	0.000	—
139	करनसीग पिता खलकसीग पता सा. सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	181	0.440	0.440	0.000	0.000	—
			182/1	1.240	0.500	0.000	0.000	—
140	संतोष भागीरथ नीरज पिता. नंदराम पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	184/1	0.560	0.400	0.000	0.010	मुनगा-2 पीपल-1 बेरी-6 नींबू-2 कुआ पक्का-1
			185/2/ 1	1.200	0.410	0.000	0.000	—
141	बालकिशन पिता धनीराम पता सा भैसा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	184/2	0.560	0.400	0.000	0.010	कुआ पक्का-1
			185/2/ 2	1.200	0.120	0.000	0.000	—
142	मकुन्दी पिता बट्टू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	185/3	1.370	0.120	0.000	0.000	छेवला-1
143	माखन जयराम पिता मुन्ना पता निवासी ग्राम विछहनी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	185/6	0.600	0.070	0.000	0.000	—

144	मुनीमसिंह पिता जगतसिंह पता बमूरा बिनैका सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी विजयसिंह पिता जगत सिंह पता बमूरा बिनैका सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी भरत सिंह पिता जगत सिंह पता बमूरा बिनैका सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी गजरासिंह पिता जगत सिंह पता बमूरा बिनैका सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी शारदा बाई पुत्री जगतसिंह पता सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी गोकल सिंह पिता लोटनसिंह पता बमूराबिनैका सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी रघुवीरसिंह पिता लोटन सिंह पता बमूरा बिनैका सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी ब्रजेश सिंह पिता लोटन सिंह पता बमूरा बिनैका सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी आदर्श पिता लोटन सिंह पता बमूरा बिनैका सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी सखीबाई पत्नी लोटन सिंह पता बमूराबिनैका सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	100/19 5	0.500	0.500	0.000	0.000	तुन-1 गुरार-6 रेजा-1 बेरी-1
कुल योग :-			232	130.020	110.100	4.220	0.500	

:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण ::

स. क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण	ख.नं.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा 11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 3डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई/अस्थाई)
				झोपड़ी/कच्चा कबेलू/टिनशेड/पक्का गाटर फर्श/आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजाराम वीरसींग त्रिलोक सींग अजयसींग पिता गिरबरसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113	वीरसिंह पिता गिरवर सिंह	मकान पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का गौशाला पिलर के उपर टिनशेड फर्श कच्चा	89.54	सतेन्द्र पिता वीरसिंह	स्थाई निवास
				शौचालय छत सीमेंट शीट	27.94		
				कुलयोग:-	1.44		
				कुलयोग:-	118.92		

2	गनेश पिता नंदलाल महेन्द्र संतोष शैलेन्द्रपिस0 मजबुत संझलीबहु वे0 रामसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	133	नन्नीबहु पति साहबसींग	पी.एम.आवास फर्श पक्का शौचालय सीमेंट सीट	28.00 1.44	निरक	स्थाई निवास
				कुलयोग:-	29.44		
3	रतन सींग पिता जसरथ पता सादेह बंडा सागर 1/5 भूमि स्वामी मोहन पिता जसरथ पता सादेह बंडा सागर 1/5 भूमि स्वामी रत्तीबाई पुत्री जसरथ पता सादेह बंडा सागर 1/5 भूमि स्वामी वीरसींग पिता जसरथ पता सा.देह बंडा सागर 1/5 भाग भूमि स्वामी देवेन्द्र पिता हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी चंदा पुत्री हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी हल्ली पुत्री हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश	140	वीरसिंह पिता दशरथ सिंह लोधी	दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	17.86	निरक	अस्थाई निवास
				कुलयोग:-	17.86		
4	1/25 भूमि स्वामी विनीता पुत्री हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी शानबाई बेवा हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/25 भूमि स्वामी		मोहन सिंह पिता दशरथ सिंह लोधी	दीवार पत्थर छत नहीं	15.51	निरक	अस्थाई निवास
				कुलयोग:-	15.51		
5	रसीदा वेगमपति माँ. ईसरईल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	141	वीरसिंह पिता दशरथ सिंह	डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच मे पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा उपर की मंजिल डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा उपर की मंजिल दहलान दीवार पत्थर छत फर्शी फर्श कच्चा बिना कंक्रीट गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा दीवार ईट की छत टीन शेड फर्श कच्चा शौचालय सीमेंट सीट	25.16 25.16 8.68 8.68 10.36 18.55 19.08 1.44	निरक	स्थाई निवास
				कुलयोग:-	115.67		

6	देवेन्द्र पिता हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी चंदा पुत्री हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी हल्ली पुत्री हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी विनिता पुत्री हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी शानबाई बेवा हीरासींग पता सादेह बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भूमि स्वामी	142 /2	सानबाई पति हीरासिंह लोधी	मकान दीवार पत्थर की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का कॉलम आर.सी.सी.	39.48	निरंक	स्थायी निवास
				दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	14.35		
				गौशाला दीवार पत्थर छत खपरैल+ तिरपाल बरसाती फर्श कच्चा	9.80		
				शौचालय छत सीमेंट शीट	1.44		
				कुलयोग:-	65.07		
7	भुरे सींग पिता भगवत सींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	144 /1	राजेश पिता लाखन लोधी	दीवार ईट की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का बिना कंक्रीट	28.40	निरंक	स्थायी निवास
				दहलान लकड़ी पिलर के उपरखपरैल+टीनशेड	56.00		
				शौचालय छत नहीं	1.44		
				कुलयोग:-	85.84		
8	प्रहलाद पिता दरयाव पता बेई शाहगढ सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	144 /2	राजाराम पिता गिरवर सिंह लोधी	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श पक्का उपर की मंजिल	50.40	राजेन्द्रसिंह पिता राजाराम	स्थायी निवास
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	50.40		
				उपर की मंजिल फर्शी गाटर	14.70		
				सिंगल दीवार पत्थर छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	14.70		
				गौशाला दीवार ईट की छत टीन शेड	55.46		
				दीवार ईट की छत टीन शेड फर्श कच्चा	21.90		
				दीवार ईट की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	44.40		
				बांसड़ी वॉल ईट की	21.00		
				शौचालय + नहानी	20.00		
				निरंक	2.88		
					0.00		
			कुलयोग:-	295.84			

9	प्रहलाद पिता दरयाव पता बेई शाहगढ सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	144 /2	देवीसिंह राजाराम सिंह	दीवार ईट की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	31.96	निरंक	स्थायी निवास	
				कमरा दीवार ईट की छत आर.सी.सी.	12.81			
				शौचालय	1.44			
				कुलयोग:-	46.21			
10	धनुवा पिता भगोला पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/2 भूमि स्वामी जालम पिता मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य 1/14 भूमि स्वामी खचोरी पिता मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/14 भूमि स्वामी कमल पिता मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/14 भूमि स्वामी नत्थी पुत्री मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/14 भूमि स्वामी सुमंत्रा पुत्री मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/14 भूमि स्वामी फूला पुत्री मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/14 भूमि स्वामी मुलाबाई बेवा मकुंदी पता सादेह 1/14 भूमि स्वामी	145	जालम/खचोरी डमक पिता मकुंदी अहिरवार	दीवाल पत्थर की छत नहीं	51.80	निरंक	अस्थायी निवास ग्राम मे अन्यत्र निवास	
								कुलयोग:-
11	भूमि स्वामी फूला पुत्री मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/14 भूमि स्वामी मुलाबाई बेवा मकुंदी पता सादेह 1/14 भूमि स्वामी	145	गजई पिता बटु अहिरवार	पी.एम.आवास छत फर्शी गाटर बिना कंक्रीट	36.00	निरंक	स्थायी निवास	
				शौचालय सीमेंट सीट दरवाजा नहीं	1.44			
				कुलयोग:-	37.44			
12	धनुवा पिता भगोला पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/2 भूमि स्वामी जालम पिता मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य 1/14 भूमि स्वामी खचोरी पिता मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/14 भूमि स्वामी कमल पिता मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/14 भूमि स्वामी नत्थी पुत्री मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/14 भूमि स्वामी सुमंत्रा पुत्री मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/14 भूमि स्वामी फूला पुत्री मकुंदी पता सादेह बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/14 भूमि स्वामी मुलाबाई बेवा मकुंदी पता सादेह 1/14 भूमि स्वामी	145	मकुंदी / बटु अहिरवार परम पिता बटु अहिरवार गजई पिता बटु अहिरवार (हिस्सा 1/3)	दीवार पत्थर छत लकडी बरसाती दहलान	18.75	कन्छेदी पिता मकुन्दी	स्थायी निवास	
				मकान दीवार पत्थर छत खपरैल फर्श कच्चा	42.56			राकेश पिता मकुन्दी
				मकान दीवार पत्थर की उपर खपरैल फर्श कच्चा	17.64			अशोक पिता मकुन्दी
				शौचालय सीमेंट सीट दरवाजानही	1.44			प्रदीप पिता मकुन्दी
				निरंक	0.00			कल्याण पिता मकुन्दी
								कुलयोग:-

13	राजाराम वीरसींग त्रिलोक सींग अजयसींग पिता गिरबरसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	147	त्रिलोकसिंह पिता गिरवर सिंह	दीवाल पत्थर छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	33.54	निरंक	स्थायी निवास
				दहलान पिलर के उपर टीनशेड	7.75		
				दीवाल पत्थर छत टीनशेड	31.20		
				डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	48.00		
				उपर की मंजिल	48.00		
				शौचालय	1.44		
				कुलयोग:-	169.93		
14	रामेश्वर पिता देवी जाति रैकवार पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	148	रामेश्वर पिता देवी प्रसाद	दीवाल पत्थर छत खपरा लकड़ी	37.50	निरंक	स्थायी निवास
				शौचालय	1.44		
				कुलयोग:-	38.94		
15	गुलझार सींग वीरसींग पिस. हल्कू सींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	156 /4	वीरसिंह पिता हल्कू सिंह लोधी	भूसा घर दीवार पत्थर छत खपरैल फर्श कच्चा	18.13	निरंक	अस्थायी निवास
				गौशाला दीवार ईट की उपर टीनशेड फर्श कच्चा	34.30		
				मकान दीवार पत्थर छत आर.सी.सी फर्श पक्का	58.80		
				कुलयोग:-	111.23		
16	गुलझार सींग वीरसींग पिस. हल्कू सींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	156 /4	1. गुलजार सिंह पिता हल्कू सिंह लोधी, 2. वीरसिंह पिता हल्कू सिंह लोधी (हिस्सा 1/2)	दीवार ईट की छत टीनशेड फर्श कच्चा	80.18	अमोलसींग पिता गुलजारसींग गोविन्दसींग पितागुलजारसींग त्रिलोकसिंह पितागुलजारसींग शेरसींग पिता वीरसींग राकेशसिंह पिता वीरसींग चन्द्रभानसिंह पिता वीरसींग दीपक पिता चन्द्रभानसिंह अहिल्या पिता अमोलसिंह	स्थायी निवास
				डबल मंजिल बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श पक्का	84.40		
				उपर की मंजिल	84.40		
				डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच में पटमा लकड़ी का छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	29.97		
				उपर की मंजिल छत फर्शी गाटर	29.97		
				डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श पक्का	38.69		
				उपर की मंजिल	38.69		
				दहलान छत फर्शी गाटर फर्श कच्चा बिना कंक्रीट	14.31		
				मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श पक्का	107.36		
				मकान दीवार पत्थर छत खपरैल फर्श पक्का	70.80		
				दीवार ईट की छत सीमेंट सीट	13.86		
				कुलयोग:-	592.63		

17	लाखनसींग पिता होडर सींग विजयसींग ए उत्तम सींग ए केशरी सींग पिता रगवीरसींग द्रोपती बाई पुत्री रगवीरसींग भूमि स्वामी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	154	महेन्द्रसिंह पिता लाखन सिंह लोधी	दीवार पत्थर छत लकडी बरसाती फर्श कच्चा	25.08	निरंक	अस्थाई निवास गौशाला
				गौशाला दीवार पत्थर छत सीमेंट सीट	11.88		
				कुलयोग:-	36.96		
18	विजय उत्तम केशरीपिस. रगबीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	156 /2	उत्तमसिंह पिता रघुवीर लोधी	दीवार पत्थर छत फर्शी गाटर	26.60	भोलेसिंह पिता उत्तमसिंह	स्थाई निवास
				डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच मे पटमा लकडी का छत खपरैल	28.00	रोहितसिंह पिता उत्तमसिंह	
				उपर की मंजिल	28.00		
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीनशेड	25.20		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल	17.50		
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शेड फर्श कच्चा	20.30		
				मकान कच्चा दीवार ईट की छत खपरैल	32.00		
				कुलयोग:-	177.60		
19	विजय उत्तम केशरीपिस. रगबीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	156 /2	केशरीसिंह पिता रघुवीर सिंह लोधी	सिंगल मंजिल दीवार पत्थर छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	16.10	निरंक	स्थाई निवास
				सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	26.60		
				डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच मे पटमा लकडी का छत खपरैल	28.00		
				उपर की मंजिल	28.00		
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शेड फर्श पक्का	25.20		
				खुली बाऊडरी वॉल गेट लोहे का	23.22		
				शौचालय पक्का आर. सी.सी.	8.58		
				कुलयोग:-	155.70		
20	संतोष श्रीराम जाहर पिता हरेन्द्र लक्ष्मीबाई पुत्रीहरेन्द्र हरबाई बेबा हरेन्द्र पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	157 /1	दुर्गा माता का मंदिर	मंदिर दीवार ईट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का	9.86	निरंक	मंदिर श्री देवजी
				चबूतरा पत्थर का फर्श पक्का	44.64		
				मड़िया छोटी	1.00		
				कुलयोग:-	55.50		

21	प्रेमबाई जोजे रामन करन बलराम पिता रामकरन पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	33	प्रेमबाई पति रामन	दीवार पत्थर छत पन्नी बरसाती झोपडी	9.92	निरंक	निरंक
				कुलयोग:-	9.92		
22	दमरू हल्ले पिस लच्छू चौदीबाई पुत्री लच्छू मसीदा बेवा लच्छू उपदेश आनंद आनिल पिता किशोरी रेखा पुत्री किशोरी मुलाबाई किशोरी पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	39	मुलाबाई बेवा किशोरी दमरू हल्ले पिता लच्छू मलीदाबाई बेवा लच्छू हिस्सा 1/3	दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का गुम्बज आर.सी.सी 6 मीटर व्यास दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का रहवासी डबल मंजिल दीवार पत्थर पटमा पत्थर का छत खपरैल उपर की मंजिल खपरैल	52.50 28.26 22.50 10.88 10.88	चन्द्रभान पिता दमरू नेहा पिता दमरू	स्थाई निवास
				कुलयोग:-	125.02		
23	गुलझार सींग बीरसींग पिस. हल्कू सींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी	54	गुलझार सींग बीरसींग पिस. हल्कू सींग लोधी	दीवार पत्थर की छत टीनशेड भूसाघर दीवार पत्थर की छत टीनशेड कृषि कार्य हेतु होदी आर.सी.सी	47.60 47.60 7.20	निरंक	अस्थाई कृषि कार्य हेतु
				कुलयोग:-	102.40		
24	रामेश्वर पिता देवी जाति रैकवार पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	76/1	ग्यारसी पिता देवी	मकान कच्चा दीवार पत्थर छत घास-फूस बरसाती	16.25	निरंक	अस्थाई कृषि कार्य हेतु
				कुलयोग:-	16.25		
25	भागीरथ वा. जगदीश भरत ना.वा.पिस.सूरतसींग माखन बाई प्रेमबाई वा. नर्बदा ना. वा पिता सूरतसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	99/2	भागीरथ, जगदीश पिता सूरतसींग	दीवार ईट की छत बरसाती	13.51	निरंक	अस्थाई कृषि कार्य हेतु
				कुलयोग:-	13.51		
26	विजयसींग पिका जगत सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	100/3	विजय सींग पिता जगतसींग	डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में पटमा लकड़ी का छत टीनशेड फर्श पक्का उपर की मंजिल टीनशेड सींगल दीवार ईट की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	29.05 29.05 8.76	निरंक	अस्थाई कृषि कार्य हेतु
				कुलयोग:-	66.85		

27	कोमलसींग वल्दभुजबल सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	102 /3	कोमलसींग पिता भुजबलसींग	दीवार ईट की छत टीन शेड फर्श कच्चा	21.90	निरंक	अस्थाई कृषि कार्य हेतु
कुलयोग:-					21.90		
28	मुरलीधर पिता जगमोहन पता नि. ग्राम (सागर) भूमि स्वामी	122	मुरलीधर पिता जगमोहन	दीवार पत्थर की छत खपरैल + घास-फूस बरसाती	16.58	निरंक	अस्थाई कृषि कार्य हेतु
कुलयोग:-					16.58		
29	संतोष श्रीराम जाहर पिता हरेन्द्र लक्ष्मीबाई पुत्री हरेन्द्र हरबाई बेबा हरेन्द्र पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	157 /1	संतोष श्रीराम जाहर पिता हरेन्द्र	दीवार पत्थर छत आर. सी.सी. फर्श कच्चा	35.70	निरंक	अस्थाई कृषि कार्य हेतु
				दीवार पत्थर की छत टीन शेड	37.52		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत लकड़ी बरसाती	14.04		
				दीवार ईट की पक्की छत जिन्क सीट	35.70		
कुलयोग:-					122.96		
30	नन्नेभाई पिता अरजन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	157 /2	नन्नेभाई पिता अरजन	दीवार पत्थर छत जीक शेड फर्श कच्चा	21.05	निरंक	अस्थाई कृषि कार्य हेतु
कुलयोग:-					21.05		
31	लछू पिता फट्टे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	160	लछू पिता फट्टे	दीवार पत्थर छत घास-फूस बरसाती	16.00	निरंक	अस्थाई कृषि कार्य हेतु
कुलयोग:-					16.00		

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अत्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी

- से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
- (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय या
- (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किय गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

3— अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।

- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

- (7) यथेचित पंचायत घर
- (8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (21) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकबा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-63अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 में खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. में से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा तहसील बण्डा के ग्राम सलैया बिनैका पटवारी हल्का नंबर-35 में खसरा नंबर 270 रकबा 45.020 में से 34.00 हेक्ट. भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है। बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X 50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में अथवा ग्राम सलैया बिनैका तहसील बण्डा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 10/09/2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 13-अ-82-21-22-भू-अर्जन-2021-12259

सागर, दिनांक 16 दिसम्बर 2021

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग उप मुख अभियंता निर्माण-II उत्तर मध्य रेल झांसी को झांसी बीना तीसरी लाईन परियोजना निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रकरण में प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारु आवागमन हो जावेगा तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक हैं। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम करोंदा में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना भी संभावित नहीं है। परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : झांसी से बीना तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : बीना
 3. ग्राम : करोंदा
 4. पट.ह.नं.- : 13
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.195 हे.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	सरदार राजाराम जगदीश कमला सुशीला पिता नन्हा श्यामबाई वेवा नन्हा साकिन देह	भूमिस्वामी	623	0.030	0.030	कृषि भूमि
2	हेमलता पुत्री दयाराम पत्नि हरपाल सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	624/1	0.060	0.043	कृषि भूमि
3	राजाराम पिता नन्हे साकिन देह	भूमिस्वामी	624/2	0.100		कृषि भूमि
4	गुलाबबाई पति सूरतसिंह जाति यादव साकिन देह	भूमिस्वामी	624/3	0.060		कृषि भूमि
5	रामबाबू संतोष कुमार पिता रामसिंह दयाराम पिता रल्ली जाति यादव साकिन देह	भूमिस्वामी	626	0.710	0.115	कृषि भूमि
6	संतोष गुड्डीबाई पिता हल्कू पारवती शांतिबाई मायाबाई पिता गोरेलाल साकिन देह	भूमिस्वामी	627	0.120	0.007	कृषि भूमि
योग:-			06	1.080	0.195	कृषि भूमि

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को

उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर उत्तर मध्य रेल झांसी बीना प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर उत्तर मध्य रेल झांसी समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण-॥ उत्तर मध्य रेल झांसी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 28-अ-82-19-20-भू-अर्जन-2021-12514

सागर, दिनांक 24 दिसम्बर 2021

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग उप मुख अभियंता निर्माण-॥ उत्तर मध्य रेल झांसी को झांसी बीना तीसरी लाईन परियोजना निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रकरण में प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारु आवागमन हो जावेगे तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक हैं। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम मुहासा में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना भी संभावित नहीं है। परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : झांसी से बीना तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : बीना
 3. ग्राम : मुहासा
 4. पट.ह.नं.- : 05
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.205 हे.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	कुसुमबाई रामाबाई लक्ष्मीनारायण पिता नत्थू साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	160	0.790	0.100	कृषि भूमि
2	राजाराम पिता गजई साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	162	0.300	0.040	कृषि भूमि
3	सोवरन पिता लालसिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	163/1	0.160	0.020	कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	163/2	0.100	0.010	कृषि भूमि
4	जयराम पिता हजरत सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	164	0.680	0.035	कृषि भूमि
योग:-			05	2.030	0.205	कृषि भूमि

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया

जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर उत्तर मध्य रेल झांसी बीना प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफं 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर उत्तर मध्य रेल झांसी समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण-॥ उत्तर मध्य रेल झांसी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 25-अ-82-20-21-भू-अर्जन-10375

सागर, दिनांक 22 अक्टूबर 2021

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की केन्द्र शासन के विभाग उप मुख अभियंता निर्माण-II उत्तर मध्य रेल झांसी को झांसी बीन तीसरी लाईन परियोजना निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। प्रकरण में प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारु आवागमन हो जावेगा तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में भी बहुत अधिक हैं। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम बेलई में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना भी संभावित नहीं है। परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : झांसी से बीना तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : बीना
 3. ग्राम : बेलई
 4. पट.ह.नं.- : 36
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.172 हे.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	जगप्रीत सिंह उर्फ जशनेर सिंह पिता मस्तान सिंह रतन सिंह बख्शी सिंह पिता लक्खा सिंह साकिन जगदीशपुरा भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	33	0.020	0.020	कृषि भूमि
2	धर्मेन्द्र पिता बुन्देल सिंह साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	34	0.140	0.064	कृषि भूमि
3	भगवानदास पिता रामलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	35	0.070	0.026	कृषि भूमि
4	महेश कुमार पिता रामेश्वर साकिन बीना भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	36	0.030	0.012	कृषि भूमि
5	बालमुकुन्द भगवानदास पिता रामलाल शारदाबाई पुत्री रामलाल आधारबाई वेवा रामलाल दयाल श्यामलाल पूरन शंकर बलराम पिता देवी तुलसाबाई गुड्डीबाई पुत्री देवी प्यारीबाई वेवा देवी सूरत प्रकाश पिता बुद्धा पूनाबाई मोतीबाई पिता बुद्ध प्यारीबाई वेवा बुद्धा फूलसींग पिता सुखलाल सुनीता नाबालिग पिता सुखलाल व खुद माँ सीताबाई वेवा सुखलाल साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	37	0.050	0.05	कृषि भूमि
योग:-			05	0.310	0.172	कृषि भूमि

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की

भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर उत्तर मध्य रेल झांसी बीना प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर उत्तर मध्य रेल झांसी समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (सठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना में) आक्षेप यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण-॥ उत्तर मध्य रेल झांसी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 06-अ-82-वर्ष 19-20-सोहागपुरढाना-14406

बैतूल, दिनांक 24 दिसम्बर 2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	शाहपुर	सोहागपुरढाना	1.425 हे०	ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	नंदकिशोर वल्द सद्दु के फौत होने से वारिसान - उमेश, लक्ष्मीकांत, शिवकांत, श्याम पिता नंदकिशोर, सुनेनी पुत्री नंदकिशोर जाति कुडमी भूमिस्वामी सा.देह	190	0.028	0.008
		189/2	0.057	0.057
		188	0.041	0.041
		185/2	0.140	0.128
2	सुहागल बेवा रामेश्वर, राजकुमार वल्द रामेश्वर, सुमन, लक्ष्मी, पिंकी, रिंकी पिता रामेश्वर	185/1	0.139	0.127
		187/2	0.117	0.101
		189/1	0.056	0.056
3	रामकेश, रामलाल, परमानंद वल्द वारिकरा, बहनवती, प्रेमवती, पिता बारिकराम जाति कुडमी सोहागपुरढाना	187/1	0.389	0.161
4	भगवानदस वल्द शिवरतन जाति कुडमी सा० सोहागपुरढाना	186	0.462	0.055

5	दशरथ वल्द सुशीलाल, नर्मदाप्रसाद वल्द छोट्या, सुग्गा पिता शक्कर, रामकली बेवा शिवचरण, गरीबदास व. शिवचरण, कमला बेवा रामभाउ, भगवानदास, दीपचंद वल्द रामभाउ, उमा, उषा पिता रामभाउ, चन्द्रकला बेवा मोहन, सुनील वल्द मोहन, संतोषी पिता मोहन, मूलचंद, कोमल, संजू पिता रगन गीताबाई, पमीता पुत्री रगन जाति कुडमी भूमिस्वामी सोहागपुरढाना	184/1	1.272	0.186
6	मीरा जौजे रघुनाथ कुडमी निवासी सोहागपुरढाना	176/1	0.316	0.055
7	रामबालक व. तुकाराम जाति कुडमी निवासी सोहागपुरढाना	176/2	0.631	0.077
8	कुवंरलाल व. तुकाराम जाति कुडमी सा. देह	176/3	0.631	0.215
9	श्याम व. नंदकिशोर जाति कुडमी सा. देह	176/6	0.315	0.055
10	कनेरी वल्द लट्टु जाति कुडमी निवासी सोहागपुरढाना	175/1	0.472	0.022
11	मंगलचंद उर्फ पप्पु पिता हरिशंकर जाति कुडमी निवासी सोहागपुरढाना	175/3	0.472	0.018
योग		17	5.649	1.425

- (2) चूंकि ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 05-अ-82-वर्ष 19-20-ढोढरामोहार-14409

घोषणा

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बेतूल (म०प्र०)	शाहपुर	ढोढरामोहार उर्फ भौरा	1.168 हे०	ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	करतारसिंग व. बलवंतसिंह जाति पंजाबी	45/10	0.532	0.094
2	भिकारी व. बबुलाल सागरबाई पिता बाबुलाल जाति अ०जा०सा० देह	45/2	0.101	0.065
3	सुन्दरबाई बे. बुद्ध रामभरोस पिता बुद्ध कैलाश व० बुद्ध सेवती पुत्री बुद्ध शारदा पुत्री बुद्ध जाति अ०जा०सा० देह	45/6	0.118	0.035
4	सुनिल व० सम्मल अनिल व० सम्मल, राजकुमारी व० सम्मल भारती व० सम्मल नीकिता व० सम्मल जाति गोंड	45/4	0.113	0.035
5	लक्ष्मीबाई पति दशरथ जाति गोंड	45/8	0.080	0.035
6	धुरप व० भंगी जाति परधान	439	0.101	0.067
7	नन्दाबाई बे. सोमू विष्णुप्रसाद व. सोमू गंगाराम व० सोमू जाति परधान	449	1.343	0.146
8	गजराज सिंग व० शेरसिंग जाति गोंड	280	0.158	0.097
9	तुलसी व० शेरसिंग जाति गोंड	281	0.146	0.046
10	रनिया बे० शंकर, भागवती पुत्री शंकर, रामविलास व० शंकर, कैलाश व० शंकर, बशारे व० शंकर, नेहरू व० शंकर, अनिल व० शंकर जाति गोंड	282	0.267	0.074
11	धुरप व० भंगी जाति परधान	260/1	0.551	0.085
12	नन्दाबाई बे. सोमू विष्णुप्रसाद व० सोमू गंगाराम व० सोमू जाति परधान	259/1	1.874	0.040
13	परसु व० कन्नु गोंड सा० देह भूमिस्वामी	257/2	2.023	0.205
14	मैनाबाई पति मन्नु गोंड सा० देह	254	0.417	0.095
15	मेंदों बे० रामु गोंड सा० देह भूमिस्वामी	257/1	1.421	0.049
योग		15	9.245	1.168

(2) चूंकि ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु अर्जन की जा रही भूमियों के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 7-अ-82-21-22-खटगढ़-14411

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नानुसार अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1)के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1
(प्रभावित कृषको की सूची)

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन हेतु कुल रकबा हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	आठनेर	खटगढ़	1.255	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल	घोघरी मध्यम परियोजना हेतु

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जन का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	मानिक राव व० बब्बू निवासी खटगढ़	141	1.255	1.255
योग		1	1.255	1.255

1- चूंकि घोघरी मध्यम परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है। धारा 15 (2) के अधीन तदाशय के सम्बंध में कोई व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भैसदेही के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमनबीर सिंह बैंस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 1435-भू-अर्जन-2021

देवास, दिनांक 23 जून 2021

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 कर्मांक 30 सन् 2013 .

चूँकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कर्मांक 01 में तालाब योजना अंतर्गत ग्राम रणायरकला तहसील टोंकखुर्द जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषक वार एवं सर्वे कर्मांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

प्रस्तावित सर्वे कर्मांक की भूमि भैसाखेडी तालाब योजना अंतर्गत प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण की जाना है। अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची - 1

ग्राम - रणायरकला

कं. 1	विवरण (2)	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	योग
01	तालाब निर्माण अंतर्गत	0.32 हे.	00.00	0.32 हे.

अनुसूची - 2

रणायरकला तालाब योजना अंतर्गत ग्राम के प्रभावित भूमि का विवरण ग्राम रणायरकला तहसील टोंकखुर्द जिला देवास (म.प्र.)

कं.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा कर्मांक	भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे.)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
01	लाखनसिंह पिता महरवानसिंह धाकड	1458	0.40	0.0	0.40	0.03	0.0	0.03
02	विजेन्द्र, अजय पिता हुकमसिंह धाकड	1456	0.41	0.0	0.41	0.03	0.0	0.03
03	दीपक नवीन पिता छतरसिंह	1452	0.85	0.0	0.85	0.04	0.0	0.04
04	हीरालाल पिता रामसिंह धाकड	1451	0.28	0.0	0.28	0.02	0.0	0.02
05	सुमित्रा बाई पति लाखनसिंह धाकड	1449/2	0.06	0.0	0.06	0.02	0.0	0.02
06	दुलैसिंह, रामेश्वरसिंह, रेखाबाई पिता विजयसिंह धाकड	1444	0.61	0.0	0.61	0.03	0.0	0.03
07	सजनबाई विधवा मनोहरसिंह, दारासिंह, राजकुमार, धनकुंवर पिता मनोहरसिंह	1437/1	0.01	0.0	0.01	0.01	0.0	0.01
08	निर्मला पति हिम्मतसिंह जाति धाकड	1437/2	0.39	0.0	0.39	0.05	0.0	0.05
09	माखनदास पिता प्रहलाददास	1367	0.06	0.0	0.06	0.02	0.0	0.02

क्र. 673-भू-अर्जन-21

देवास, दिनांक 21 दिसम्बर 2021

**[अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013)]**

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ "दतूनी बांध परियोजना बांध निर्माण" से प्रभावित निजी ग्राम आबादी में स्थित रहवासी कच्चा मकान 11.82 वर्गमीटर ग्राम ठिकरिया तहसील कन्नौद में भूमि अपेक्षित हैं, अर्थात्, इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 11.82 वर्गमीटर ग्राम ठिकरिया तहसील कन्नौद में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र. सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ	द.	पू.	प.
1	1	ग्राम आबादी में स्थित रहवासी कच्चा मकान	कच्चा मकान	11.82	श्री सनोर पिता शंकर जाति कोरकू निवासी ग्राम ठिकरिया हा.मु. संदलपुर तहसील खातेगांव				

वृक्ष -	
किस्म	संख्या
निरंक	निरंक

संरचना	
प्रकार	कुर्सी एरिया
-	-

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या—है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

ग्राम ठिकरिया तहसील कन्नौद जिला देवास क्षेत्र 11.82 (वर्गमीटर में)।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 4331-भू-अर्जन-2021-प्रकरण क्रमांक 05-अ-82-2021-22

रतलाम, दिनांक 30 दिसम्बर 2021

(अन्तर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 क्रमांक 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है किमें वर्णित भूमि की अनुसूची के क्रमांक 01 एवं 02 वर्णित भूमि को अनुसूची के क्रम 03 में उल्लेखित सार्वजनिक परियोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त परियोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची ::

(1) भूमि का वर्णन, —

(क) जिला रतलाम (ख) तहसील आलोट (ग) ग्राम नारायणी (घ) अर्जित रकबा-हैक्टैयर में।

क्र.	सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
1	2	(3)	4
1	0.020	—	0.020

अनुसूची (2)

नारायणी बैराज योजना अन्तर्गत डूब प्रभावित ग्राम नारायणी की प्रभावित भूमि का विवरण
ग्राम नारायणी तहसील आलोट

क्र.	कृषक का नाम व पिता का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टैयर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	नागुसिंह पिता फतेसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नारायणी	360/1	0.340	0.00	0.340	0.020	0.00	0.020

(3) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :- नारायणी बैराज तालाब हेतु

(4) भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड आलोट जिला रतलाम

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुमार पुरुषोत्तम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. क-भू.अ.-11-2021

दमोह, दिनांक 30 दिसम्बर 2021

राज्य शासन के विभिन्न-विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जानी वाली अधो संरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12.02.2014 /सात/ए/भोपाल दिनांक 12.11.2014 (म.प्र. राज्यपत्र दिनांक 14.11.2014) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 जारी की गयी है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर के द्वारा ग्राम इमलिया घाट तहसील दमोह की भूमि का भू अर्जन किया जाना है जिसका विवरण निम्नानुसार है, तथा इसके भू स्वामी /भू-स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका -10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित फ़ॉर्म (ख) में सहमति प्रस्तुत की गई है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 1(1) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है, यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि के भीतर के आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयों समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न ही स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण :-

जिला दमोह तहसील दमोह प.ह.नं.83 ग्राम इमलिया घाट क्षेत्रफल -0.08हे.

क्रं	भूमि स्वामी का नाम पिता /पति का नाम	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टे.में)	अर्जित रकवा (हेक्टे.में)	अन्य संपत्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	शुभम पिता रज्जू दुबे साकिन-देह इमलियाघाट तहसील दमोह	774/2	0.72	0.08	-
	योग	-	0.72	0.08	-

पत्र क्र. 08-भू-अर्जन-2021

दमोह, दिनांक 6 जनवरी 2022

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद क्रमांक 1 में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता हैं।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन – जिला दमोह, तहसील— दमोह, ग्राम – दमोह खास

क्षेत्रफल :- 0.039 हेक्टेयर

ग्राम :- दमोह खास

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	भूमि का विवरण					रिमार्क
		खसरा नम्बर	कुल रकवा	अर्जित रकवा			
				निजी	शास0	कुल रकवा	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मन्दिर भारत दुर्गा देवालय मोहत्रम डा. नरेन्द्र भारत पिता मूलचन्द्र भारत सा0देह	1248	0.210	0.031	-	0.031	-
2	ओमप्रकाश पिता बाबूलाल सैनी सा0 दमोह	1249/1/1	0.016	0.002	-	0.002	-
3	चन्द्रकुमारी उर्फ केशरबाई पति रामदयाल रैकवार सा0 दमोह	1249/2	0.008	0.005	-	0.005	-
		1249/3	0.008	0.001	-	0.001	-
		किता-4	0.242	0.039	-	0.039	-
		कुल योग :-	0.242	0.039	-	0.039	-

(2) :- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है, बीना कटनी तृतीय रेल्वे लाईन परियोजना के अंतर्गत तहसील दमोह ग्राम दमोह खास में तीसरी रेल्वे लाईन निर्माण बावत्।

(3) :- भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी दमोह एवं उपमुख्य अभियंता/ निर्माण पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(4) :- उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अनुसूचना प्रकाशन के तीस दिन के अंदर अर्जन के संबन्ध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. कृष्ण चैतन्य, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 01-अ-82-भू-अर्जन-2021-22

श्योपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2021

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम **तेलीपुरा** तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा **0.060** हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है

अतः जिला -श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम **तेलीपुरा** प.ह.न **28** रा.नि. वृत्त **01** में उक्त परियोजना के लिये **0.060** हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है -

स. क.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	कृषक का नाम पिता का नाम जाति, भाग (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	4/1	भूमिस्वामी	सिंचित	0.030	रामप्रकाश पुत्र लक्ष्मी जाति रावत निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
2	5/1	भूमिस्वामी	सिंचित	0.030	लालपति पुत्र शिवलाल जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
कुल किता 02 व कुल अर्जित रकवा				0.060	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे ।

विशेष— धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू – अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

प्र. क्र. 01-अ-82-भू-अर्जन-2021-22

(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम श्यारदा तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 0.926 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है

अतः जिला -श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम श्यारदा प.ह.न 23 रा.नि. वृत्त 01 में उक्त परियोजना के लिये 0.926 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है -

स. क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	कृषक का नाम पिता का नाम जाति, भाग (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	737	भूमिस्वामी	सिंचित	0.381	मनीषा पत्नी रामकुमार जाति वैश्य पता निवासी ग्राम 43/85 भाग भूमिस्वामी मुन्नालाल पुत्र लटूर जाति वैश्य पता निवासी 42/85 भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 4.00।
2	739/1	भूमिस्वामी	सिंचित	0.178	गीता देवी पत्नि अशोक कुमार जाति वैश्य निवासी वीरपुर भूमिस्वामी भू.आ. 5.25
3	741/2/2	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	सिंचित	0.170	अफताव पुत्र निसार जाति मुसलमान निवासी ग्राम वीरपुर हिस्सा संपूर्ण भाग भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय भू राजस्व 1.07
4	743	भूमिस्वामी	सिंचित	0.197	रिंकू पुत्र मुन्नालाल जाति वैश्य पता निवासी वीरपुर भूमिस्वामी भू राजस्व 3.00।
कुल किता 04 व कुल अर्जित रकवा				0.926	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वास्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे ।

विशेष— धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू – अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

प्र. क्र. 02-अ-82-भू-अर्जन-2021-22

(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम ,2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)

जहां समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम जाखेर तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में कुल रकवा 0.297 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, और नियम चार के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एवं दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है

अतः जिला -श्योपुर तहसील वीरपुर के ग्राम जाखेर प.ह.न 26 रा.नि. वृत्त 01 में उक्त परियोजना के लिये 0.297 हेक्टर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है -

स. क्र.	सर्वे नं.	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	कृषक का नाम पिता का नाम जाति, भाग (राजस्व अभिलेख अनुसार)
	2	3	4	5	6
1	350/1	भूमिस्वामी	सिंचित	0.104	बैरबल, जगदीश, रामनरेश पुत्रगण बट्टी दुराली पुत्री बट्टी जाति रावत निवासी तेलीपुरा भूमिस्वामी 1/4 समान लक्ष्मीनारायाण पुत्र सरवन धन्तूरी पुत्री सरवन हिस्सा 1/2 निवासी तेलीपुरा रामनाथ प्रहलाद पुत्रगण रघुनंदन रामनाथी श्रीवाई पुत्रियां रघुनंदन मथरो बेवा रघुनंदन हिस्सा 1/4 जाति रावत भू राजस्व 0.93
2	352/3	भूमिस्वामी	सिंचित	0.090	धर्मवीर देवीसिंह पुत्रगण रामचरण, धर्मबाई, रूबी पुत्रियां रामचरण जाति रावत निवासी तेलीपुरा हिस्सा 60/196 समान भाग भूमिस्वामी, उम्मेद पुत्र इन्दर, कलावती पत्नी ल्होवा जाति रावत हिस्सा 1/2 समान भाग भूमिस्वामी

					रमेश महेश पुत्रगण जीवनलाल हिस्सा 38/196 समान भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 0.86
3	354/1	भूमिस्वामी	सिंचित	0.080	नरेश गोरे लालाराम भरोषी बंटी पुत्रगण लक्ष्मी रुमाली पुत्री लक्ष्मी, कौशा बेवा लक्ष्मी जाति रावत निवासी ग्राम हिस्सा समान भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 0.49
4	355/1	भूमिस्वामी	सिंचित	0.023	रामनाथ किशोर रामदयाल विनोद पुत्रगण चिम्मन रामपति रामेश्वरी नरेशी पुत्रियां चिम्मन कला बेवा चिम्मन हिस्सा 1/5 करन पुत्र सामलिया जाति जाटव निवासी तेलीपुरा हिस्सा 1/5 भूमिस्वामी, धप्पो बेवा कुंदन, शिवचरण, श्रीपाल, गजराज पुत्रगण कुंदन, सुआबाई गुड्डी पुत्रियां कुंदन जाति जाटव निवासी तेलीपुरा हिस्सा 1/5 समान भाग भूमि स्वामी नीवो पुत्री सामलिया जाति जाटव निवासी तेलीपुरा हिस्सा 1/5, हरहेत, श्रीलाल, पापू, हल्के पुत्रगण फुल्ली, द्रोपति पुत्री फुल्ली जाति जाटव निवासी ग्राम बरोली हिस्सा 1/5 समान भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 0.11

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है। सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, कय/विकय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे।

विशेष- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इरामें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

शिवम वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 10 जनवरी 2022

प्र. क्र. 12-अ-82-वर्ष 2021-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	कूडन	निजी भूमि रकबा 71.27 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 00 है. कुल रकबा 71.27 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	छतरपुर/पन्ना जिले के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दौधन बांध निर्माण कार्य हेतु डूब क्षेत्र से प्रभावित पन्ना टाईगर रिजर्व (पी.टी.आर.) कोर क्षेत्र के एवज में पी.टी.आर. से लगे हुये ग्रामों की निजी भूमि पन्ना पी.टी.आर. के उपयोग अधिग्रहण हेतु धारा-11 का प्रकाशन.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-वर्ष 2021-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	मरहा	निजी भूमि रकबा 111.49 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 00 है. कुल रकबा 111.49 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	छतरपुर/पन्ना जिले के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दौधन बांध निर्माण कार्य हेतु डूब क्षेत्र से प्रभावित पन्ना टाईगर रिजर्व (पी.टी.आर.) कोर क्षेत्र के एवज में पी.टी.आर. से लगे हुये ग्रामों की निजी भूमि पन्ना पी.टी.आर. के उपयोग अधिग्रहण हेतु धारा-11 का प्रकाशन.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 14-अ-82-वर्ष 2021-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
पन्ना	अमानगंज	खमरी	निजी भूमि रकबा 49.25 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 00 है. कुल रकबा 49.25 है.	छतरपुर/पन्ना जिले के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दौधन बांध निर्माण कार्य हेतु डूब क्षेत्र से प्रभावित पन्ना टाईगर रिजर्व (पी.टी.आर.) कोर क्षेत्र के एवज में पी.टी.आर. से लगे हुये ग्रामों की निजी भूमि पन्ना पी.टी.आर. के उपयोग अधिग्रहण हेतु धारा-11 का प्रकाशन.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82-वर्ष 2021-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
पन्ना	पन्ना	गहदरा	निजी भूमि रकबा 187.87 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 00 है. कुल रकबा 187.87 है.	छतरपुर/पन्ना जिले के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दौधन बांध निर्माण कार्य हेतु डूब क्षेत्र से प्रभावित पन्ना टाईगर रिजर्व (पी.टी.आर.) कोर क्षेत्र के एवज में पी.टी.आर. से लगे हुये ग्रामों की निजी भूमि पन्ना पी.टी.आर. के उपयोग अधिग्रहण हेतु धारा-11 का प्रकाशन.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 16-अ-82-वर्ष 2021-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) पन्ना	(2) पन्ना	(3) कोनी	(4) निजी भूमि रकबा 58.54 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 00 है. कुल रकबा 58.54 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	छतरपुर/पन्ना जिले के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दौधन बांध निर्माण कार्य हेतु डूब क्षेत्र से प्रभावित पन्ना टाईगर रिजर्व (पी.टी.आर.) कोर क्षेत्र के एवज में पी.टी.आर. से लगे हुये ग्रामों की निजी भूमि पन्ना पी.टी.आर. के उपयोग अधिग्रहण हेतु धारा-11 का प्रकाशन.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 17-अ-82-वर्ष 2021-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) पन्ना	(2) पन्ना	(3) मझौली	(4) निजी भूमि रकबा 30.44 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 00 है. कुल रकबा 30.44 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	छतरपुर/पन्ना जिले के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दौधन बांध निर्माण कार्य हेतु डूब क्षेत्र से प्रभावित पन्ना टाईगर रिजर्व (पी.टी.आर.) कोर क्षेत्र के एवज में पी.टी.आर. से लगे हुये ग्रामों की निजी भूमि पन्ना पी.टी.आर. के उपयोग अधिग्रहण हेतु धारा-11 का प्रकाशन.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-वर्ष 2021-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) पन्ना	(2) पन्ना	(3) कटहरी विलहटा	(4) निजी भूमि रकबा 163.76 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 00 है. कुल रकबा 163.76 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	छतरपुर/पन्ना जिले के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दौधन बांध निर्माण कार्य हेतु डूब क्षेत्र से प्रभावित पन्ना टाईगर रिजर्व (पी.टी.आर.) कोर क्षेत्र के एवज में पी.टी.आर. से लगे हुये ग्रामों की निजी भूमि पन्ना पी.टी.आर. के उपयोग अधिग्रहण हेतु धारा-11 का प्रकाशन.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 6 जनवरी 2022

क्र. A-84-दो-2-41-2020.—श्री नरसिंह बघेल, रजिस्ट्रार (I&L), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 17 से 28 जनवरी 2022 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री नरसिंह बघेल, रजिस्ट्रार (I&L), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री नरसिंह बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो रजिस्ट्रार (I&L) के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अधिषेक गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कम्प्यूटर).

जबलपुर, दिनांक 6 जनवरी 2022

क्र. A-82-दो-2-13-2019.—श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 08 अगस्त 2017 से 07 अगस्त 2019 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तथा दिनांक 08 अगस्त 2019 से 07 अगस्त 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30-30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 7 जनवरी 2022

क्र. A-97-दो-2-54-2011.—श्रीमती गिरिबाला सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-99-दो-2-28-2019.—श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मुँरैना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक 02 वर्ष

की ब्लाक अवधि के लिए तथा दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30-30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-101-दो-2-11-2018.—श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुँरैना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. A-105-दो-2-38-2021.—श्री के. एस. बारिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 13 से 17 दिसम्बर 2021 तक, पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. बारिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बारिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-107-दो-2-112-2017.—श्री योगेश दत्त शुक्ल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-125-दो-2-75-2017.—श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 17 से 22 जनवरी 2022 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 जनवरी 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 जनवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-139-दो-2-56-2021.—श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी को दिनांक 27 से 28 दिसम्बर 2021 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2021 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 एवं 26 दिसम्बर 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 एवं 02 जनवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती किरण सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-141-दो-2-51-2021.—श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा को दिनांक 04 से 08 जनवरी 2022 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 09 जनवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-143-दो-2-37-2021.—श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 17 जनवरी से 05 फरवरी 2022 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 जनवरी 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 फरवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भारत सिंह रावत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-145-दो-2-37-2021.—श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 13 से 17 दिसम्बर 2021 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 दिसम्बर 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भारत सिंह रावत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-163-दो-2-19-2015.—श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाडू मण्डलेश्वर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-165-दो-2-71-2018.—श्री श्यामाचरण उपाध्याय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-167-दो-2-15-2020.—श्री विजय कुमार पाण्डेय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मन्दसौर को दिनांक 01 नवम्बर 2021 से 07 नवम्बर 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक), 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. D-169-दो-2-39-2021.—श्री रमा शंकर शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 01 नवम्बर 2021 के एक दिन के आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 31 अक्टूबर 2021 के एवं दिनांक 02 से 07 नवम्बर 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक), 2011, दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 10 जनवरी 2022

क्र. B-27-दो-2-16-2019.—श्री वाचस्पति मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा को दिनांक 27 से 29 दिसम्बर 2021 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2021 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 एवं 26 दिसम्बर 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 एवं 02 जनवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री वाचस्पति मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वाचस्पति मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-29-दो-2-41-2021.—श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, श्योपुर को दिनांक 20 से 22 दिसम्बर 2021 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोज कुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-31-दो-2-15-2020.—श्री विजय कुमार पाण्डेय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को दिनांक 13 से 14 दिसम्बर 2021 तक, दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार पाण्डेय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कुमार पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-33-दो-2-72-2018.—श्री अनिल कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 18 से 24 दिसम्बर 2021 तक, सात दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 एवं 26 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-35-दो-2-55-2021.—श्री शिवकांत पाण्डेय, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 06 से 17 दिसम्बर 2021 तक, बारह दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री शिवकांत पाण्डेय, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवकांत पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-37-दो-2-37-2021.—श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 06 से 07 दिसम्बर 2021 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 05 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भारत सिंह रावत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-39-दो-2-70-2021.—श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 14 से 17 दिसम्बर 2021 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल्य सराफ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-41-दो-2-47-2019.—श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 20 से 22 दिसम्बर 2021 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 23 से 24 दिसम्बर 2021 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 दिसम्बर 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 एवं 26 दिसम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अभिषेक गौड़, विशेष कर्तव्यव्यवस्था अधिकारी (कम्प्यूटर)।

R.I.D. No. 3671-2022

Jabalpur, the 10th January 2022

Election Petition No. 13/2019
(Shri Shashi Kathoria Vs. Shri Mahesh Rai and others)

Information/content to be published.

“As per Hon'ble court order dated 21-12-2021 in Election Petition No. 13/2019 (Shri Shashi Kathoria Vs. Shri Mahesh Rai and others) an application has been filed by the petitioner Shashi Kathoria for withdrawal of the Election Petition.

Thus, as an application for withdrawal is made under sub-section (1) of Section 109 of Representation of the People Act 1951, notices have been issued to the concerned respondents on the said application for withdrawal of the Election Petition and next date of hearing is fixed for 17-01-2022.

सूचना का हिन्दी अनुवाद निम्नानुसार है:—

चुनाव याचिका क्रमांक 13/2019 (श्री शशि कथोरिया विरुद्ध श्री महेश राय व अन्य) दिनांक 21-12-2021 के माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता शशि कथोरिया द्वारा याचिका वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।

इस प्रकार, चूंकि उपधारा (1) की धारा 109 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत याचिका वापस लेने के लिये एक आवेदन किया गया है, संबंधित प्रतिवादियों को याचिका वापस लेने के लिए उक्त आवेदन पर नोटिस जारी किये गये हैं। और सुनवाई की अगली तारीख 17-01-2022 तय की गई है।

EP No. 13 of 2019
(*Shri Shashi Kathoria Vs. Mahesh Rai and others*)

Jabalpur, Dated : 21-12-2021

Mr. Sunil Kumar Vishwakarma, learned counsel for the petitioner.

Mr. Abhijit Bhowmik, learned counsel for respondent No. 1.

Mr. Gajendra Parashar, learned P. L. for the respondent/State.

Heard on I.A.No. 9265/2021, which is an application for withdrawal of the election petition.

The application is supported by an affidavit of election petitioner.

The application also reveals that the petition is sought to be withdrawn and the same has not been induced by any bargain or consideration which may not be allowed. Under these circumstances, in order to comply with the procedure laid down under Section 109(2) of the Representation of the People Act, 1951, issue notice to respondents No. 2 to 6 only by both modes, P. F. within five days, returnable within three weeks. No notice is required to be sent to respondent No. 1, who was the contesting respondent and is represented by Mr. Abhijit Bhowmik, learned counsel.

As regards respondent No. 6, Mr. Gajendra Parashar, learned Panel Lawyer, accepts notice on behalf of Mr. D. P. Dwivedi, who is presently SDO (Revenue), Khajuraho and who on the relevant date was Returning Officer of 35, Bina Vidhan Sabha.

In addition to the above, notice may be served through Humdust also on payment of requisite fee.

None of these respondents are required to appear in person upon receiving notice and if they are represented through counsel, it shall suffice.

The respondents who may have objection to the withdrawal of the petition shall enter appearance and pray for filing written objection, if any.

Under these circumstances, List this case on 17-01-2022 on the top of the List. The next date of hearing shall also be published in the official gazette as required under Section 109(2) of the Representation of the People Act, 1951.

A typed copy of the order be given to the Advocate General for intimation to respondent No. 6 Mr. D. P. Dwivedi.

Sd/-
(ATUL SREEDHARAN)
JUDGE.

Later on the original record of this case on behalf of respondent No. 6 has been produced by Mr. Akhilesh Tiwari, Revenue Inspector, Circle Bina, However, in view of the application for withdrawal of the election petition itself, examination of respondent No. 6 would not be required and, therefore, these records may be taken back.

Sd/-
(ATUL SREEDHARAN)
JUDGE.